"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2022 — फाल्गुन 20, शक 1943

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 (फाल्गुन 20, 1943)

क्रमांक – 3321/वि.स./विधान/2022. – छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) जो शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./–

(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 10 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021

विषय सूची

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. सामाजिक बहिष्कार.
4. सामाजिक बहिष्कार का निषेध.
5. सामाजिक बहिष्कार पर दण्ड.
6. सामाजिक बहिष्कार करने के उद्देश्य से एकत्रित होने पर प्रतिषेध
7. अपराध में सहायता करने एवं उकसाने के लिए दण्ड.
8. सामाजिक बहिष्कार की पिछली कार्यवाहियां शून्य होना.
9. दण्ड के पूर्व पीड़ित पक्ष की सुनवाई करना.
10. अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा.
11. दण्डनीय अपराध सहमति से समझौता योग्य होगा.
12. शिकायत करने की प्रक्रिया.
13. शिकायत प्राप्त होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
14. सामाजिक बहिष्कार को रोकने की शक्ति.
15. सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिकारी.
16. सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिकारी के कर्तव्य.
17. सामाजिक बहिष्कार के पीड़ित को या उसके परिवार को मुआवजा.
18. किसी अन्य अधिनियम का अल्पीकरण नहीं किया जायेगा.
19. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन आरोप तैयार करना.
20. निरसन.
21. नियम बनाने की शक्ति.
22. कठिनाईयों को दूर करना.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 10 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021

छत्तीसगढ़ राज्य में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह, जिसमें उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, के सामाजिक बहिष्कार के रोकथाम, निषेध एवं निवारण का प्रावधान करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2021 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. (1) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) **"जाति पंचायत"** का तात्पर्य, एक समिति अथवा किसी भी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के समूह द्वारा गठित निकाय, चाहे पंजीकृत हो या नहीं, जो एक ही समुदाय में विभिन्न प्रथाओं को विनियमित करने के लिए समुदाय के भीतर कार्य करता है, किसी के व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, सदस्य और सामूहिक रूप से अपने परिवारों सहित अपने सदस्यों के बीच किसी भी विवाद का समाधान या निर्णय मौखिक या लिखित आदेश जारी करके, चाहे उसे "पंचायत" या किसी अन्य नाम या अन्य विवरण के रूप में कहा जाता है अथवा माना जाता है ;

(ख) **"समुदाय"** का तात्पर्य, जिसके सदस्य इस तथ्य के कारण एक साथ जुड़े हुए हैं कि जन्म, रूपांतरण या किसी धार्मिक संस्कार या समारोह के प्रदर्शन से वे एक ही धर्म या धार्मिक पंथ के हैं और उसमें एक जाति या उप जाति ;

(ग) **"सरकार" या "राज्य सरकार"** का तात्पर्य, छत्तीसगढ़ सरकार से है ;

(घ) **"मानवाधिकार"** से तात्पर्य है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) में परिभाषित मानव अधिकार ;

(ड.) **"सदस्य"** का तात्पर्य, एक व्यक्ति जो किसी भी समुदाय का सदस्य है ;

(च) **"सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिकारी"** का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो द्वितीय श्रेणी अथवा उससे उच्च श्रेणी का होगा ;

(छ) **"सामाजिक बहिष्कार"** का तात्पर्य है, धारा 3 में निर्दिष्ट समुदाय के सदस्यों के बीच किसी भी सामाजिक भेदभाव का इशारा या कार्य, चाहे मौखिक हो या लिखित ;

(ज) **"पीड़ित"** से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति जिसने सामाजिक बहिष्कार के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या मौद्रिक नुकसान या अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और इसमें उसके रिश्तेदार, कानूनी अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल हैं ;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (क्रमांक 1 सन् 1972), अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) व मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) में जैसा परिभाषित किया गया है, उस अनुसार ही अर्थ माना जायेगा।

सामाजिक बहिष्कार

3. कोई भी सदस्य अथवा व्यक्ति जो निम्नलिखित में से कोई भी कार्य अथवा कार्य करता है, उसे अपने समुदाय के किसी सदस्य पर सामाजिक बहिष्कार लागू माना जाएगा ;

(क) यदि वह अपने समुदाय के किसी सदस्य अथवा व्यक्ति को किसी सामाजिक या धार्मिक प्रथा या प्रथा या समारोह का पालन करने या सामाजिक, धार्मिक या सामुदायिक कार्यों, मण्डली, सभा, बैठक में भाग लेने से रोकता है या टोकता है या बाधा उत्पन्न करता है;

(ख) यदि वह अपने समुदाय के किसी भी सदस्य को विवाह, अंतिम संस्कार या अन्य धार्मिक समारोहों और संस्कारों को करने के अधिकार से इंकार करता है या रोकता है या टोकता है या बाधा उत्पन्न करता है;

(ग) यदि वह किसी भी आधार पर सामाजिक बहिष्कार करता है या कराता है ;

(घ) यदि वह अपने समुदाय के किसी सदस्य को समाज में शामिल होने या ऐसे सदस्य के साथ सामाजिक या व्यावसायिक संबंधों में कटौती करने से मना करता है या उससे दूर रखता है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे सदस्य का जीवन दयनीय हो जाता है ;

(ड.) यदि वह अपने समुदाय के किसी भी सदस्य को किसी धर्मार्थ, धार्मिक या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग किये जाने वाले या उपयोग करने के इरादे से उपयोग करने से रोकता है या टोकता है या बाधा उत्पन्न करता है ;

(च) यदि वह अपने समुदाय के किसी सदस्य को किसी स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान, सामुदायिक हॉल, क्लब हॉल, कब्रिस्तान, श्यमशान, अपने समुदाय द्वारा या उसके लाभ के लिए उपयोग किया जाना वाला या उपयोग करने का इरादा रखने वाला स्थान या किसी अन्य की सुविधाओं तक पहुंचने या उपयोग करने से रोकता है या टोकता है या बाधा उत्पन्न करता है।

(छ) यदि वह अपने समुदाय के किसी सदस्य को अपने समुदाय के लाभ के लिए बनाए गए धर्मार्थ ट्रस्ट या वक्फ के तहत किसी भी लाभ का आनंद लेने से रोकता है, टोकता है या बाधा उत्पन्न करता है ;

(ज) यदि वह अपने समुदाय के किसी सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य सदस्य या अपने समुदाय के सदस्यों के साथ सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक संबंधों को तोड़ने के लिए उकसाता है या उत्तेजित करता है या प्रोत्साहित करता है ;

(झ) यदि वह अपने समुदाय के किसी सदस्य को किसी धार्मिक आस्था का स्थल, जो आमतौर पर उसके समुदाय के सदस्यों के लिए खुला रहता है या तीर्थ में प्रवेश करने, रहने या अन्यथा उपयोग करने से रोकता है या बाधित करता है या रोकता है या बाधा उत्पन्न करता है ;

(त्र) यदि वह अपने समुदाय के किसी सदस्य को ऐसे सामाजिक, व्यावसायिक या व्यावसायिक संबंध स्थापित करने या बनाए रखने से रोकता है या बाधित करता है या बाधा उत्पन्न करता है, जैसा कि वह आमतौर पर अपने समुदाय के अन्य सदस्यों के साथा स्थापित या बनाए रखता है ;

(ट) यदि वह समुदाय में अपने समुदाय के किसी भी बच्चे को एक साथ खेलने से रोकता है, विशिष्ट परिवार या परिवारों के बच्चों के साथ रहने पर बाधा डालता है या रोकने का कारण बनता है ;

(ठ) यदि वह अपने समुदाय के किसी भी सदस्य को मानवाधिकारों का आनंद लेने से रोकता है या इंकार करता है या बाधा डालता है या इंकार करने का कारण बनता है ;

(ड) यदि वह नैतिकता के आधार पर समुदाय के सदस्य से सामाजिक स्वीकृति, राजनीतिक झुकाव, कामुकता या कोई अन्य आधार पर भेदभाव करता है या भेदभाव करने का कारण बनता है ;

(ढ) यदि वह संस्कार के नाम पर अपने समुदाय के किसी सदस्य को किसी विशेष पहनावे के लिए मजबूर करता है, कपड़े के प्रकार या किसी विशिष्ट भाषा का उपयोग करने के लिए सांस्कृतिक आधार पर बाधा उत्पन्न करता है या बाधा उत्पन्न करने का कारण बनता है ;

(ण) यदि वह अपने समुदाय के किसी सदस्य को उसके समुदाय से निष्कासित करता है या निष्कासित करने का कारण बनता है ; और

(त) यदि वह कोई अन्य समान कार्य करता है।

सामाजिक बहिष्कार का निषेध

4. सामाजिक बहिष्कार एतद्द्वारा निषिद्ध है और इसका किया जाना एक अपराध माना जायेगा।

सामाजिक बहिष्कार पर दण्ड

5. कोई भी व्यक्ति किसी पर सामाजिक बहिष्कार थौंपता है या लगाता है उसके समुदाय के सदस्य को, दोषसिद्धि पर कारावास से दण्डित किया जाएगा या तो विवरण का जो तीन साल तक हो जा सकता है या जुर्माना जो एक लाख रूपये तक या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है।

स्पष्टीकरण –1 व्यक्ति जो प्रभावित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है या कराता है जाति पंचायत के अन्य सदस्य, जिन्होंने अपनी बैठक में मतदान किया है, सामाजिक बहिष्कार का अधिरोपण किया है, इस धारा के अधीन अपराध किया माना जाएगा।

स्पष्टीकरण –2 जहां जाति पंचायत की बैठक में सामाजिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया है, प्रत्येक सदस्य जिसने इस तरह के निर्णय के पक्ष में मतदान किया है या विचार–विमर्श में भाग लिया है, बैठक में जब ऐसा प्रस्ताव या संकल्प पेश किया गया था, ऐसा में समझा जाएगा कि इस धारा के अधीन अपराध किया गया है।

सामाजिक बहिष्कार करने के उद्देश्य से एकत्रित होने पर प्रतिषेध

6.(1) कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी भी समय और किसी भी स्थान पर समुदाय के किसी भी सदस्य पर सामाजिक बहिष्कार लागू करने के उद्देश्य से विचार–विमर्श करने की मंशा / इरादे से इकट्ठा या एकत्रित नहीं होगा।

(2) इस तरह की सभा या सभा या मण्डली को एक गैरकानूनी सभा के रूप में माना जाएगा और इस तरह के आयोजन का प्रत्येक व्यक्ति और उसमें भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य पचास हजार रूपये से एक लाख रूपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

अपराध में सहायता करने या उकसाने के लिए दण्ड

7. प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत अपराध के हेतु सहायता करता है या उसे उकसाता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक हो सकता है या एक लाख रूपये जुर्माने या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है।

सामाजिक बहिष्कार की पिछली कार्यवाहियां शून्य होना

8. (1) इसके प्रारंभ होने की तिथि पर सामाजिक बहिष्कार की कोई कार्यवाही, अधिनियम की प्रारंभ की तिथि से शून्य हो जायेगा और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(2) कोई भी जाति पंचायत, जो सामाजिक बहिष्कार करती है या करवाती है। धारा 4 के तहत अपराध किया माना जाएगा और धारा 5 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

दण्ड के पूर्व पीड़ित पक्ष की सुनवाई करना

9. यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय पीड़ित को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करेगा और उसके बाद ही सजा पर निर्णय लेगा।

अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा

10. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और जमानतीय होगा।

दण्डनीय अपराध सहमति से समझौता योग्य होगा

11. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध, पीड़ित की सहमति से और न्यायालय की अनुमति से समझौता योग्य होगा।

परन्तु न्यायालय द्वारा एक आदेश के माध्यम से अपराध के समझौते के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, जो आरोपी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली सामुदायिक सेवाओं के प्रदर्शन की शर्तों के अधीन होगी।

शिकायत करने की प्रक्रिया

12. (1) पीड़ित या उसके परिवार का कोई भी सदस्य पुलिस के माध्यम से अथवा सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष उप धारा (1) के अधीन शिकायत दर्ज की गई है, वह पुलिस को जांच करने का निर्देश दे सकेगा ।

(3) मजिस्ट्रेट, पीड़ित और उसके परिवार को किसी भी प्रकार की सहायता अथवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे सकेगा।

शिकायत प्राप्त होने पर अपनाई जानें वाली प्रक्रिया

13. इस अधिनियम के अधीन सामाजिक बहिष्कार के अपराध की सूचना / शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी –

(क) यदि पुलिस अधिकारी के पास यह समाधान करने का उचित आधार है कि बैरिकेड अथवा बाधा इस प्रकार लगाई गई थी या इस उद्देश्य के लिए

उपयोग करने के लिए रखी गई थी, जो इस अधिनियम के अधीन एक अपराध है, तो किसी भी जगह पर लगाए गए बैरिकेड अथवा बाधा को हटा सकेगा, या

(ख) यदि पुलिस अधिकारी को यह समाधान करने का उचित आधार हो कि अपराध करने की उद्देश्य से द्वार अथवा दरवाजा बंद कर दिया गया है, तो किसी भी द्वार अथवा दरवाजे को खुलवा सकेगा।

सामाजिक बहिष्कार को रोकने की शक्ति

14. (1) जहां कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को यह जानकारी प्राप्त होती है कि सामाजिक बहिष्कार लागू करने के लिए गैरकानूनी सभा बुलाने की संभावना है, आदेश द्वारा, ऐसी किसी भी गैरकानूनी सभा के आयोजन को प्रतिबंधित करेगा और आदेश में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध को अंजाम देने की दिशा में कार्य करने से रोकेगा।

(2) कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, को प्रभावी ढंग से संज्ञान में लेते हुए पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश / आदेश दे सकेगा, जैसा की वह उचित समझे।

सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिकारी

15. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सरकार के किसी द्वितीय श्रेणी अथवा प्रथम श्रेणी अधिकारी को सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी, उस क्षेत्र अथवा उन क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी, जैसा कि वह आवश्यक समझे। इस अधिनियम द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित कर्तव्यों का पालन, सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिकारी के कर्तव्य

16. सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिकारी के निम्नानुसार कृत्य होंगे–

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध/अपराधों का पता लगाने के लिए, ऐसी कार्यवाही कर, जैसा वह उचित समझें ऐसे मामले /मामलों का प्रतिवेदन मजिस्ट्रेट को देगा ,

(ख) जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस अधिनियम के अधीन अपराध/अपराधों की कार्यवाही करने की कोशिश कर रहा हो तो इसके रोकथाम हेतु मजिस्ट्रेट तथा पुलिस कार्यवाही में उनकी सहायता करना;

(ग) पुलिस के कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करना;

(घ) यह देखना कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सामुदायिक सेवाओं के आदेश का पालन हो रहा है अथवा नहीं और आरोपी से इस तरह के आदेश के अनुपालन के संबंध में न्यायालय को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ;

(ड.) मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को, इस अधिनियम के अधीन संपादित अपने कार्य से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ,

(च) ऐसे अन्य कार्य करना, जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन पृथक से सौंपे जाएं।

सामाजिक बहिष्कार के पीड़ित को या उसके परिवार को मुआवजा

17. न्यायालय द्वारा लगाये गये जुर्माने के आदेश के परिपालन में जुर्माने की पूरी राशि अथवा उसका कुछ हिस्सा प्राप्त होने पर, जैसा भी आदेश हो, पीड़ित को या उसके परिवार को मुआवजे के रूप में प्रदान किया जायेगा।

किसी अन्य अधिनियम का अल्पीकरण नहीं किया जायेगा

18. इस अधिनियम के प्रावधान, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे न ही उनका अल्पीकरण करेंगे।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन आरोप तैयार करना

19. इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए आरोप सिद्ध हेतु , मजिस्ट्रेट भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 34, 120–क, 120–ख, 149, 153–क, 383 से 389 एवं 511 के अधीन अपराध हेतु निर्धारित कर सकता है।

निरसन

20. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व इस अधिनियम में निहित प्रावधानों से संबंधित प्रवृत्त अधिनियम निरसित माने जायेंगे। निरसित होने वाले अधिनियमों के अधीन अधिनियमों के निरसन के पूर्व में की गई समस्त कार्यवाहियां यथावत रहेंगी।

नियम बनाने की शक्ति

21. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र सभा के समक्ष रखा जायेगा।

कठिनाईयों को दूर करना.

22. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसको दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर एक आदेश द्वारा जो इस अधिनियम से असंगत न हो राजपत्र में प्रकाशित कर दूर करेगी।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति पश्चात् उपधारा (1) के अधीन ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश जारी होने के यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राप्त नागरिक के मौलिक अधिकार के अनुसार प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीने, अपने अस्तित्व की रक्षा करने एवं अन्य मानवीय बुनियादी आवश्यकताओं को प्राप्त करने का हक है।

यह देखा गया है कि समाज में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा कभी–कभी किसी व्यक्ति को अथवा उसके परिवार के सदस्यों का सामाजिक बहिष्कार कर उन्हें तिरस्कृत करके प्रताड़ित किया जाता है, जो मानव अधिकार के विरूद्ध है।

अतः लोक हित में सामाजिक सुधार को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक बहिष्कार को निषेध करना आवश्यक है।

इस हेतु सामाजिक बहिष्कार के रोकथाम हेतु इस कृत्य को दण्डनीय अपराध के रूप में लागू करने हेतु छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2021 को लाया जाना आवश्यक है।

अतएव यह छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 प्रस्तुत है।

रायपुर,
दिनांकः 26 नवम्बर, 2021

सत्यनारायण शर्मा
सदस्य विधान सभा
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

विधेयक के खण्ड–21 में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है तथा नियमों को बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जाने का प्रावधन किया गया है।

इस विधेयक के खण्ड–22 में अधिनियम के उपबंधों में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार कठिनाई को दूर करने के लिए एक आदेश के माध्यम से उस कठिनाई को एक वर्ष के भीतर दूर कर सकती है, संबंधी प्रावधान है। जिसे यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाना आवश्यक होगा।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.